संख्या- 0 7 /2023/79 /26-3-2023/C.N,-1396097

प्रेषक.

रजनीश चन्द्र. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में.

1-निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र लखनऊ।

2-निदेशक, जनजाति विकास, उ०प्र० लखनऊ।

लखनऊ: दिनांक 05 जनवरी, 2024

विषय-वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) छात्रवृत्ति योजना में आनलाइन आवेदन समाज कल्याण अनुभाग-3 से लेकर वितरण हेतु संशोधित समय-सारिणी हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय.

उपर्युक्त विषयक निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-4257/स0क0/ शिक्षा-अ/2/597/2023-24 दिनांक 05.01.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) छात्रवृत्ति योजना में आनलाइन आवेदन से लेकर वितरण हेतु संशोधित समय-सारिणी हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-98/2023/3872/26-3-2023/C.No-1396097 दिनांक 06-12-2023 द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) की कक्षाओं से सम्बन्धित विद्यालयों को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने, छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन से छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित समय सारिणी जारी की गयी है।

शासन द्वारा जारी उक्त समय-सारिणी दिनांक 06-12-2023 के अनुसार पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रों के स्तर से आनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 02-01-2024 निर्धारित थी, किन्तु उक्त निर्धारित तिथि के अन्तर्गत कतिपय छात्र आनलाइन आवेदन नहीं कर पाये हैं। इस सम्बन्ध में निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के पत्र दिनांक 02-01-2024 द्वारा प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से तिथि बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा भी तिथि बढ़ाये

जाने का अनुरोध मौखिक रूप से किया गया है।

तत्क्रम में पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत संशोधित समय-सारिणी निम्नवत है:-

क0सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	प्रस्तावित समयावधि
אַטאָטיִאַ	2	3
	कक्षा 9-10 के छात्र/छात्राओं हेतु आनलाइन आवेदन व	अन्य प्रक्रिया
1 .	छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन	08 जनवरी, 2024 से
	कात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना।	14 जनवरी, 2024 तक
2 <sup>.</sup>	हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित विद्यालय में	18 जनवरी, 2024 तक
	जमा किया जाना	
त्रवृत्ति <sup>:</sup>	छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी समस्त	
	वांछित संलग्नकों सहित विद्यालय में जमा किया जाना।	

5.1.2024

2	विद्यालय द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित 1	9 जनवरी, 2024 तक।
3	करना	
	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न	
	अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का विद्यालय द्वारा	
Į.	० अपन्य अपन्य अपन्य अपन्य अपन्य अपन	
`	का डाटा निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन	
	सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	
4	नवीनीकरण न करने वाले छात्रों के चिन्हीकरण हेतु भौतिक सत्यापन	21 नवम्बर, 2023 से
7	छात्र द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण	31 जनवरी, 2024 तक।
	विद्यालय द्वारा आनलाइन छात्र के सम्मुख अंकित किया जाना एवं	
	जिलाधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के	
	अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर विद्यालयों एवं छात्रों का भौतिक	
	सत्यापन किया जाना।	
5	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन करना	20 फरवरी, 2024 तक
_	सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 9-10 हेतु) द्वारा वर्गवार	
•	वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को आनलाइन	
	सत्यापित करना।	
•	भगतान की प्रक्रिया	
6	एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी	20 जनवरी से 04 फरवरी, 2024
J	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया	तक
	जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न	
	बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	
7	त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना	05 फरवरी से 10 फरवरी, 2024
1	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, विद्यालय के लागिन पर	तक
	प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों के	
	छात्र द्वारा ठीक किया जाना।	
	छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना	त्रुटियां संशोधन के पश्चात
В	छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करवे	
	हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जम	ातक
	- [2] 프라마이트웨어 등의 마이크 아이크 아이크 아이크 아이크 아이크 아이크 아이크 아이크 아이크 아	
	किया जाना।	06 फरवरी से 14 फरवरी, 2024
9	संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित कराना	l .
	त्रुटियों को ठीक करके छात्र द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्रों व	nicia,
	विद्यालय द्वारा संलग्न अभिलेखों से मिलान करके आनलाइ	٦
	सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	0 ) - 1 0 000
0	एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्कू्रटनी	15 फरवरी से 21 फरवरी, 2024
	छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 व	<b>हो</b> तक
	राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जान	πι
	तदोपरान्त जनपदीय लागिन पर प्रदर्शित किया जाना।	
	MALENIA MILERIA MILLI INVESTMENTA IN TOTAL	

1/465020/2024

		0 5 फरवरी से 04 मार्च 2024
11	जिन्नियाचे सानास क्षारा युव्य रूप संपद्धार १४ वर्गन	
1	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं शुद्ध डाटा	तक
	के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत	
	करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर	
	से डाटा लॉक किया जाना।	
12	मांग सृजन	08 मार्च, 2024 तक
	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक	
	डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉग सृजित	,
	कराना।	
13	घनराशि का अन्तरण	15 मार्च, 2024 तक
	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक	
	डाटा के आधार पर PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं को	
	धनराशि का भुगतान किया जाना।	
14	अनुसूचित जाति के छात्रों को 60 प्रतिशत केन्द्रांश भुगतान हेतु	20 मार्च, 2024 तक
	भारत सरकार को डाटा शेयर किया जाना।	

5- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त संशोधित समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशो/ छात्रवृत्ति नियमाविलयों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2023-24 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। भवदीय,

Digitally Signed by रजनीश चन्द्ररजनीश चन्द्र) Dat<mark>ह्य शृद्धिश्चिश्चरी</mark> 18:56:17 Reason: Approved

## पू0सं0 एवं दिनाक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र0, प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/नियोजन/ मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र0, लखनऊ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उ०प्र0लखनऊ।
- 6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र0लखनऊ।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रजनीश चन्द्र) विशेष सचिव।